

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या: 3/विविध-01-63/2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक:

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सा पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित प्रयोजन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयोजन
1	2	3	4
1	डा० सुदीप्तो, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिकन्दरा, जमुई	15.10.94	NEET SS-2025 के परीक्षा में चयनोपरान्त साक्षात्कार/नामांकन में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि उक्त अध्ययन/प्रशिक्षण अवधि में विभाग या पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
2	डा० गौतम कुमार सांडिल्य, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर	27.03.91	NEET SS-2025 के परीक्षा में चयनोपरान्त साक्षात्कार/नामांकन में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि उक्त अध्ययन/प्रशिक्षण अवधि में विभाग या पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3	डा० तुलिका राज, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोपालगंज	10.12.94	NEET SS-2025 के परीक्षा में चयनोपरान्त साक्षात्कार/नामांकन में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि उक्त अध्ययन/प्रशिक्षण अवधि में विभाग या पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
4	डा० शशांक गौरव, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया	11.05.93	NEET SS-2025 के परीक्षा में चयनोपरान्त साक्षात्कार/नामांकन में भाग लेने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ कि उक्त अध्ययन/प्रशिक्षण अवधि में विभाग या पदस्थापित स्वास्थ्य संस्थान से वेतन या अन्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।
5	डा० अनुभा, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, स्त्री एवं प्रसव रोग, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनुपर, सारण	27.12.86	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के विज्ञापन सं० BCECEB/Health (SR)/2025 द्वारा विज्ञापित सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु।

02. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे।

03. कम सं०-03 में अंकित विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पर विभागीय आदेश सं० 914(1) दिनांक 06.10.2022 सह पठित शुद्धि पत्र सं० 915(1) दिनांक 10.10.2022 में अंकित शर्त लागू होगा।

04. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

268(3)  
20/3/26

*[Handwritten Signature]*

ह०/-  
(रेणु कुमारी)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :


268(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 20/3/20

**प्रतिलिपि:** महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेलपथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित निदेशक/संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्स महाविद्यालय एवं अस्पताल/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि:** सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

**प्रतिलिपि:** विभागीय पी0एम0यू0 लीड/डाटा एनॉलिस्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी